न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 27/2016

अपीलाण्ट्स बनाम रेस्पोडेन्ट्स

अपीलाण्ट्स

1. हरजीराम पुत्र सोनाजी जाति भील निवासी मडगांव तहसील व जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. मूपाराम पुत्र उकीया
2. पताराम पुत्र उकीयाजी
3. आशाराम पुत्र उकीया
4. बगदाराम पुत्र उकीया
5. सोनीया पुत्र देवला जातिगण भील निवासीगण मडगांव
6. भंवरसिंह पुत्र पूनमाजी जाति पुरोहित निवासी नून
7. श्रीमती लहरीदेवी पत्नी मकनाजी पुरोहित निवासी मडगांव
8. सरदारजी पुत्र हिन्दुजी पुरोहित निवासी सरत
9. मनीया पुत्र हकीया
10. मंगलीया पुत्र हकीया
11. बाबु पुत्र हकीया जाति भील
12. भाकला पुत्र हकीया
13. डुंगा पुत्र हकीया
14. जामता पुत्र हकीया
15. मु0 वरजू बेवा हकीया
16. दरगा पुत्र भूरीया
17. गणीया पुत्र वरदीया
18. सुरीया पुत्र वरदीया
19. मु. शांति बेवा वरदीया
20. वगतीया पुत्र भूरीया
21. छोगला पुत्र ओटीया
22. हीरीया पुत्र ओटीया जातिगण भील निवासीगण मड़गांव
23. हेमसिंह पुत्र सवसिंह
24. डुंगरसिंह पुत्र सवसिंह जातिगण पुरोहित निवासीगण सरत
25. खेताराम पुत्र भुदीया जाति भील निवासी मड़गांव

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

26. आम्बसिंह पुत्र धोकलसिंह जाति राजपूत निवासी मड़गांव
27. अन्तर कुंवर बेवा जयसिंह जाति राजपूत निवासी मड़गांव
28. मोहनसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी मड़गांव
29. तगसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी मड़गांव
30. नोपा पुत्र वगता जाति मेणा निवासी चान्दणा
31. कुईया पुत्र सदीया जाति सरगरा निवासी सरत
32. मसरिया पुत्र सटीया जाति सरगरा निवासी सरत
33. उकाराम पुत्र मूलाजी जाति बागरी निवासी सांथु
34. सोनाराम पुत्र मुलाजी जाति बागरी निवासी सांथु
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री भंवरलाल सोलंकी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री नैनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 31 व 32

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 35 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 30·11·18

-----0-----

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2003 हरजीराम बनाम मूपा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी भूमि के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण भूमि में से कुछ खसरा नम्बरान् की भूमि में से अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता से उनके 1/20 हिस्से की भूमि क्रय की है तथा उक्त खरीद से अपीलाण्ट काबिज काश्त है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी भूमि के विभाजन एवं स्थाई व्यादेश का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें किसी भी रेस्पोडेन्ट द्वारा विरोध नहीं करने के कारण साक्ष्य के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2009 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। अपीलाण्ट के हिस्से में कुल भूमि में से 1.47 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की आती है, किन्तु पटवारी हल्का द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, उसमें अपीलाण्ट के हिस्से में 0.21 हैक्टेयर भूमि कम करते हुए 1.26 हैक्टेयर भूमि ही अंकित की, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर दिनांक 02.03.2013 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति पर गौर किए बिना ही प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत करते हुए अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। विधि अनुसार लोक अदालत के तहत पक्षकारान् की सहमति से ही किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जा सकता है। पक्षकारान् सहमत नहीं होने की दशा में प्रकरण का बाद ट्रायल ही निर्णय किया जा सकता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान राजस्व लोक अदालत में उपस्थित ही नहीं थे, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण का विधि सम्मत निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की सह खातेदारी भूमि है, जिसका विभाजन किया जाना उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है, तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी सह खातेदारी होने के कारण भूमि के विधिक विभाजन एवं स्थाई व्यादेश का अनुतोष चाहा। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 से 22, 25 व 34 की तरफ से इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 23, 24, 27 से 29 द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गवाहों के बयान कलमबद्ध करने के पश्चात दिनांक 21.10.2009 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार जालोर को विवादित आराजी का पक्षकारान् के मध्य उनके हक हिस्से अनुसार भौतिक रूप से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बराबर–बराबर बाई मिट्स व बाउण्ड के बंटवाडा कर अलग अलग खसरा नम्बरान लगान आदि कायम करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदश पारित किए। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

निर्णय की पालना में तहसीलदार जालोर द्वारा जरिये पत्रांक/राजस्व/2012/635 दिनांक 28.02.2012 के विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2012 व 29.04.2015 के जरिये पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के आदेश जारी किए, किन्तु पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त ही नहीं हुए, इस दरम्यान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण प्रकरण दिनांक 22.05.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प मड़गांव में नियत करते हुए पूर्व में पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, उक्त विभाजन प्रस्ताव को ही अन्तिम करते हुए अन्तिम डिक्री पारित की गई, जो विधि विरूद्ध है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत करने हेतु जो नोटिस जारी किए, वे अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स को संयुक्त रूप से जारी किए गए है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0डी0 1990 पेज 351 नाथू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित किया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है – " Separate notices should have been served on each trespasser-- Where request is made for actual measurement of land alleged to have been trespassed upon, land should be measured before drawing conclusion whether trespass has occurred or not" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण–रूपेण चस्पा होता है। है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, वह पटवारी हल्का मड़गांव द्वारा तैयार किया जाकर तहसीलदार जालोर को प्रेषित किया है, जिसे तहसीलदार जालोर द्वारा मात्र अग्रेसित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

विभाजन के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के अनुसार उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना आज्ञापक है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 में सक्षम न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन करने का प्रावधान निम्न प्रकार है – S..20 of RAJASTHAN TENANCY (Revenue Board) Rules, 1955 - 20 DIVISION OF HOLDING BY DECREE.

Same as provided in Rule 19 in a division of holding by the decree or order of a competent court passed in a suit by one or more of the co-tenant for the purpose of dividing the holding the distributing the rent thereof over the several portions into which it is divided the following principles shall be observed:-

(a) The valuation of the portion allotted to each party shall be proportionate to his share in the holding.

(b) The portion allotted to each party shall be as compact as possible.

(c) As far as possible, no party shall be given all the inferior or all the superior quality of land.

(d) As far as possible, existing fields shall not be split up.

(e) Plots which are in the separate possession of a tenant shall, as far as possible, be allotted to the tenant, if they are not in excess of his share.

Division of Holding by Agreement or by Order of Court"

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

नियम 21 में नक्शा बनाना और उपविभाजित खेतों का अंकन करने का प्रावधान इस प्रकार है कि तहसीलदार नक्शा बनाएगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भूखण्ड अलग–अलग रंगों से दिखाया जायेगा और किसी खेत को उपविभाजित किया गया है, तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार ही नहीं किया गया तथा इस आधार पर यदि प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित की जाती है, तो यह एक नए वाद का सृजन करेंगा। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल की मुख्य पीठ द्वारा आर0आर0डी0 2017 पेज 679 में निम्न अभिमत प्रकट किया है –

> Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules , 1955, Rules 18 to 21 - Reference - Preparation of proposal for division by Tehsildar - Question for consideration is whether under Rules 18 to 21 of Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules , 1955, proposal for division to be prepared by Tehsildar is mandatory or Tehsildar may sub-delegate his administrative power in respect of preparation of proposal for division - Held, it is mandatory for Tehsildar that he himself inspect site and prepare proposal for division of holdings - He may entrust ministerial work to its subordinate Naib Tehsildar, ILR or Patwari etc., for preparation of map and demarcation of sub-divided field and filing of colours - Imperative upon Tehsildar that he himself prepare report under his seal and signature, he can not forward report prepared by ILR, Patwari and draftsman without application of his mind - Directions to SDO to ensure that report submitted before him prepared by Tehsildar as per law and if report not prepared by Tehsildar himself then SDO to return it to Tehsildar for preparation of report - Direction to Registrar, Board of Revenue to send copy of judgment to all concerned for compliance and action.

उपरोक्त न्याय निर्णय से यह स्थिति प्रकट होती है कि नियम 18 से 21 में जो प्रावधान प्रदत्त है, उसके अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार ही अधिकृत है, जिसके द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त हस्तगत निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise"

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 60/2003 हरजीराम बनाम मूपा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के आधार पर जांच कर कानूनी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर